

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 26/14

संस्थापन दिनांक:-18/01/14

फाईलिंग नं. 233504001412014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

उत्तमराव पिता अजाबराव ठाकरे,
 उम्र 40 वर्ष, निवासी मिरमउ,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 14.02.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 325 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 22.11.2013 को रात्रि 09:00 बजे थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम तिरमउ में फरियादी के घर में फरियादी अजाबराव को लोहे की राड से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.11.2013 को रात 9 बजे फरियादी खाना खाकर सो रहा था, तभी उसका बड़ा लड़का उत्तम शराब पीकर आया और उसे गंदी गंदी गालियां दिया और कहा कि तूने मेरे लड़के पर जादू टोना कर दिया है, इस कारण से बीमार है। अभियुक्त ने उसे लोहे की सलाख से दोनों हाथ एवं दोनों पैर पर मारा जिससे उसे अंदरूनी चोटें आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट को रोजनामचा सान्हा क्र. 1108 में दर्ज कर फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मेडिकल परीक्षण में फरियादी को फेक्चर पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 46/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक लोहे की चौकोर रॉड जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अजाबराव को लोहे की रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

5 अजाबराव (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट की थी जिससे उसे दोनों हाथ, पैर एवं पसली में चोट आयी थी। चंद्रकला (अ.सा.-2) ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्त उत्तम ने उसके ससुर अजाबराव के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की थी जिससे उसके ससुर के दोनों हाथ, पैर एवं पसली में चोट आयी थी और उसके द्वारा बीच बचाव किया गया था। सुभाष (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे उसकी पत्नी चंद्रकला ने फोन करके यह बताया था कि अभियुक्त उत्तम ने पिता अजाबराव के साथ मारपीट की है। जब वह घर आया तो उसने देखा तो उसके पिता के दोनों हाथ, पैर और पसली में चोट आयी थी। इसी साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने अपने पिता अजाबराव को थाना आमला लाकर रिपोर्ट लेख करायी थी तथा बैतूल अस्पताल ईलाज के लिए लेकर गया था।

6 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 23.11.2013 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत अजाबराव का परीक्षण किया था जिसमें आहत के दाहिने कंधे में 5 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द तथा आहत के दाहिने पैर एवं जांघ पर 3 गुणा 3 सेमी. आकार की चोट के साथ साथ आहत के दाये हाथ एवं पैरों में दर्द पाया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत को आयी चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तुतः से आना

संभावित तथा उसकी प्रकृति एक्सरे के परिणाम पर निर्भर थी। उक्त साक्षी ने चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी तथा साक्षी अजाबराव (अ.सा.-1), चंद्रकला (अ.सा.-2) एवं सुभाष (अ.सा.-3) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत के शरीर पर उसके बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

7 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-7) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि दिनांक 29.12.2013 को जिला चिकित्सालय बैतूल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत अजाबराव को सर्जिकल वार्ड से डॉक्टर जेसानी के द्वारा छाती के एक्सरे के लिए भेजे जाने पर उसके द्वारा आहत अजाबराव का एक्सरे परीक्षण किया गया था जिसका एक्सरे प्लेट क्र. 16117 है। उक्त साक्षी ने एक्सरे में आहत के दांये तरफ की सातवीं पसली टूटी हुई होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) एवं डिजीटल पेपर प्रिंट (प्रदर्श प्री-5) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

8 बिसनसिंह (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 16.01.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 46/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-1) एवं दिनांक 17.01.2014 को अभियुक्त से एक लोहे की रॉड जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-3) तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

9 अजाबराव (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसके सामने न अभियुक्त से कुछ जप्त किया गया था और न ही उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन उक्त साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-3) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

10 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा साक्षी चंद्रकला एवं सुभाष फरियादी/आहत के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा पूर्व से ही उभयपक्ष के मध्य जमीनी विवाद है, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है। अतः साक्षीगण के कथनों से यह देखा जाना है कि क्या उनके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।

12 अजाबराव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय पलंग पर लेटा हुआ था तभी अभियुक्त ने जादू टोने की बात पर से उसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करना चालू कर दिया जिससे उसके दोनों हाथ, पैर व पसली में चोट आयी थी तथा एक पसली टूट गयी थी। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि बीच बचाव उसकी बहू चंद्रकला ने की थी तथा फोन करने पर उसका बेटा सुभाष आया था तब घटना की रिपोर्ट थाने में की गयी थी।

13 चंद्रकला (अ.सा.-2) ने साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि घटना के समय उसके ससुर पलंग पर लेटे हुए थे तभी अभियुक्त उत्तम आया और जादू टोने की बात पर से अभियुक्त ने लोहे की रॉड से उसके ससुर की मारपीट की जिससे उन्हें हाथ, पैर व पसली में चोट आयी थी। सुभाष (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे फोन पर जब उसकी पत्नी चंद्रकला ने बताया तो वह घर आया उसने देखा कि उसके पिता गंभीर रूप से घायल है, हाथ, पैर, पसली में चोट आयी है। उसके बाद वह अपने पिता को बैतूल अस्पताल लेकर गया था।

14 अजाबराव (अ.सा.-1), चंद्रकला (अ.सा.-2) एवं सुभाष (अ.सा.-3) प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त के द्वारा आहत अजाबराव के साथ मारपीट किये जाने के तथ्य पर अपने कथनों पर अखंडित रहे हैं।

15 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि** उभयपक्ष के मध्य रंजिश है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commission of offences

as also for false implication" अर्थात् रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है। अतः ऐसी दशा में जबकि अभियुक्त द्वारा आहत अजाबराव की मारपीट किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, तब ऐसी दशा में उक्त तर्क से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

16 **बचाव अधिवक्ता का एक महत्वपूर्ण तर्क यह रहा है कि** आहत अजाबराव का एक्सरे घटना के लगभग एक माह के उपरांत हुआ है, तब ऐसी स्थिति में घोर उपहति प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

17 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक 22.11.2013 की रात्रि 09:00 बजे की है। उक्त दिनांक को ही फरियादी के द्वारा 23:10 बजे रिपोर्ट किये जाने पर रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श प्री-6) लेख किया गया। तत्पश्चात आहत अजाबराव का मेडिकल परीक्षण दिनांक 23.11.2013 को कराया गया। चिकित्सक साक्षी डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) के द्वारा आहत के दाहिने कंधे एवं आहत के दाहिने पैर एवं जांघ पर आयी चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी। डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-7) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 29.12.2013 को डॉक्टर जेसानी के द्वारा आहत की छाती के एक्सरे के लिए रेफर किये जाने पर आहत का एक्सरे किया गया जिसमें दांये तरफ की सातवीं पसली में फेक्चर पाया गया।

18 डॉ. एन.के. रोहित जिनके द्वारा आहत का घटना के तत्काल पश्चात मेडिकल परीक्षण किया गया था उक्त साक्षी ने आहत के दाहिने कंधे, दाहिने पैर एवं जांघ पर चोट के लिए एक्सरे हेतु रेफर किया था। जबकि डॉ. ओ.पी. यादव ने डॉक्टर जेसानी के द्वारा आहत की छाती के एक्सरे हेतु रेफर किये जाने पर उसका परीक्षण करना बताया है। **घटना दिनांक 22.11.2013 की है। जबकि आहत का एक्सरे दिनांक 29.12.2013 को किया गया है।** घटना में आहत का तत्काल पश्चात परीक्षण कराये जाने पर दाहिने कंधे एवं दाहिने पैर पर चोट थी जबकि एक माह पश्चात की एक्सरे रिपोर्ट में आहत की पसली में फेक्चर आना प्रकट हो रहा है। स्पष्टतः आहत को पसली में आयी चोट अभियोजन द्वारा वर्णित घटना क्रम में एवं अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आना प्रकट नहीं होती है। उपर्युक्त परिस्थिति में आहत अजाबराव को घोर उपहति आने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में बचाव अधिवक्ता का तर्क उचित प्रतीत होता है।

19 फरियादी अजाबराव (अ.सा.-1) एवं साक्षी चंद्रकला (अ.सा.-2), सुभाष (अ.सा.-3) अभियुक्त उत्तमराव के द्वारा लोहे की रॉड से मारपीट किये जाने के तथ्य पर अखंडित रहे हैं तथा घटना की रिपोर्ट आहत के द्वारा तत्काल

पश्चात लेख करायी गयी है। यद्यपि साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन कथनों में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करते हुए अभियुक्त के द्वारा लोहे की रॉड से पसली में भी मारा जाना बताया है। जबकि तत्काल पश्चात लेख रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श प्री-6) में भी आहत को दोनों हाथ एवं दोनों पैर पर मारा जाना प्रकट हो रहा है परंतु मात्र उपर्युक्त विसंगति से साक्षियों की संपूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अभियोजन अभियुक्त पर आरोपित धारा 325 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है परंतु उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियुक्त द्वारा आहत अजाबराव की लोहे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है।

20 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी अजाबराव (अ.सा. -1) के साथ लोहे की रॉड से मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

21 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के घर में फरियादी अजाबराव को लोहे की रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की परंतु उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी को लोहे की रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की जाना प्रमाणित पाया गया है जो कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 325 भा.दं.सं. का छोटा अपराध है। अतः धारा 222 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप में दोषमुक्त करते हुए उसे धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

22 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

23 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए०डी०पी०ओ० के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी. पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध लोहे की रॉड से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

24 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ लोहे की रॉड से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

25 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी पिता-पुत्र हैं परंतु घटना में अभियुक्त द्वारा अपने बीमार पिता जो कि पलंग पर लेटे हुए थे, को मात्र छोटे से विवाद पर लोहे की रॉड से सीधा प्रहार कर उपहति कारित की गयी है। प्रकरण के संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्त उत्तमराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के आरोप में **छह: माह के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये** के अर्थदंड के दंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

26 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत अजाबराव पिता कचरया ठाकरे निवासी तिरमउ थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

27 प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की रॉड अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

28 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

29 दं०प्र०सं० की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)